CIN : U45203MP2004SGC016758

MPRDC

# मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

**( म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण )**

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

☎ : ( ऑफिस ) 0755-2597290/2765205, फैक्स : 0755-2572643, वेबसाइट : mprdc.gov.in

क्र. 6496/एमपीआरडीसी/स्था./26 भोपाल, दिनांक 23/02/2026

प्रति,

**प्रमुख सचिव,**
म.प्र. शासन,
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल

**विषयः- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-12 (नवीन क्र. 45) अंतर्गत पैकेज-01, जबलपुर-हिरण नदी मार्ग खण्ड के कि.मी. 28 पर स्थित आर.ओ.बी. क्षतिग्रस्त होने बाबत् ।**

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 (नवीन क्र. 45) पैकेज-01 अंतर्गत जबलपुर-हिरण नदी मार्ग खण्ड का 4 लेन में उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य ई.पी.सी. योजना में (एन.एच.डी.पी.-III) किये जाने हेतु संविदाकार मेसर्स वागड़ इन्फ्रा. प्रोजेक्ट प्रा.लि.-मेसर्स सोरठिया वेलजी रतना कंपनी (जे.व्ही.) बासवाणा, (राजस्थान) के साथ अनुबंध दिनांक 19/12/2017 को सम्पादित किया गया था। उक्त परियोजना के क्रियान्वयन की नियुक्ति दिनांक 23/01/2018 एवं कार्यपूर्णता दिनांक 07/02/2022 थी। परियोजना अंतर्गत उपरोक्त वर्णित आरओबी का भी निर्माण किया गया है तथा गुणवत्ता की देखरेख हेतु अथॉरिटी इंजीनियर के रूप में मेसर्स आई.सी.टी. प्रा.लि., नई दिल्ली के साथ अनुबंध संपादित किया गया था।

उक्त पुल के पर्यवेक्षण/निगरानी एवं गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व संभागीय प्रबंधक, जबलपुर का है। शहपुरा-भिटोनी हाईवे मार्ग पर बने आरओबी का पहला हिस्सा दिनांक 09/09/2025 को ध्वस्त हो गया था तथा दूसरा हिस्सा भी दिनांक 22/02/2026 को ध्वस्त हो गया है।

इससे यह स्पष्ट है कि उक्त आरओबी के निर्माण के समय न केवल निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही बरती गई बल्कि गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया गया। निर्माण कार्य के दौरान अनुबंध के प्रावधानों अंतर्गत गुणवत्ता पूर्ण कार्य संपादित कराये जाने की जिम्मेदारी श्री आर.पी. सिंह, तत्कालीन संभागीय प्रबंधक, जबलपुर एवं श्री संतोष शर्मा, तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक, जबलपुर जो कि निगम में लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे की थी।

उपरोक्त आरओबी की सामान्य अवधि लगभग 50 वर्ष थी तथा निर्माण के उपरांत केवल 04 वर्ष की अवधि में ध्वस्त होना श्री आर.पी. सिंह, तत्कालीन संभागीय प्रबंधक, जबलपुर एवं श्री संतोष शर्मा, तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक, जबलपुर की कार्य के प्रति लापरवाही, निगरानी/गुणवत्ता/मापदण्ड पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण उक्त घटना घटित हुई है। इससे एक ओर कार्य के प्रति इनकी लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होती है वहीं दूसरी ओर इससे शासन एवं विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। साथ ही उक्त ध्वस्त आरओबी के मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु शासन को अतिरिक्त रूप से व्यय करना पड़ेगा।

निरंतर........2

उक्त परीप्रेक्ष्य में लेख है कि वर्तमान में श्री आर.पी. सिंह एवं श्री संतोष शर्मा, लोक निर्माण विभाग से सेवा–निवृत्त हो चुके हैं। अतः म.प्र. शासन, पेंशन नियम–1976 के नियम–9 ***"पेंशन को रोकने अथवा वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार"*** के तहत श्री आर.पी. सिंह एवं श्री संतोष शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का अनुरोध है।

23/02/26

**(भरत यादव)**
**प्रबंध संचालक**

पृ.क्र. ........../एमपीआरडीसी/स्था./26 भोपाल, दिनांक 23/02/2026

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

**प्रबंध संचालक**
**म.प्र.सड़क विकास निगम**